न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 631–दो/2002 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–8–1998 पारित व्दारा – तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 77/1993 निगरानी

नर्मदाप्रसाद पुत्र स्व.मंशाराम दुवे
ग्राम बम्होरी तहसील व जिला सागर ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के. श्रीवास्तव)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री ए.के.श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 7 –10–2015 को पारित)

तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/1993 निगरानी में पारित आदेश दि. 22.8.98 के पुनरावलोकन हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार सागर ने प्रकरण क्रमांक 8 अ–19/184–85 में पारित आदेश दिनांक 15–4–1985 से आवेदक के हित में ग्राम बमोरी ढूडर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1/1 रकबा 4.00 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया है) आवंटित की। भूमि आवन्टन में प्राप्त करने के उपरांत आवेदक ने आवन्टित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया । पटटे की शर्तो का पालन न करने के कारण कलेक्टर सागर ने आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निग. प्रकरण क्रमांक 3 अ–19/ 1981–82 पंजीबद्ध

किया तथा आवेदक को बचाव प्रस्तुत करने एंव सुनवाई हेतु 29.3.1988 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदक ने बचाव में लेखी उत्तर दिनांक 26-4-88 प्रस्तुत किया तथा वादग्रस्त भूमि पर पिछले 12, 13 वर्षो से काविज होना बताया। कलेक्टर सागर ने आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 30.11.90 पारित किया तथा नायव तहसीलदार सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 8 अ-19/184-85 में पारित आदेश दिनांक 15-4-1985 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी करने पर प्रकरण क्रमांक 240 अ 19/90-91 में पारित आदेश दिनांक 15.1.1993 से निगरानी निरस्त की। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी क्रमांक 77/1993 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 22.8.1998 से निरस्त हुई। इस आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत हुआ है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/1993 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.8.1998 के अवलोकन पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

1. कलेक्टर सागर व्दारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 3 अ-19/1981-82 में पारित आदेश दिनांक 30.11.1990, अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 240 अ 19/90-91 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.1.1993 में निकाले गये तथ्यात्मक निष्कर्ष समवर्ती हैं।

2. म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु तीन आधार बताये गये हैं ।

(I) किसी नई और महत्वपूर्ण विषयवस्तु या साक्ष्य की खोज होने से जो उचित परिश्रम करने के वाद भी उसकी जानकारी में नहीं थी या जो उस समय जब डिक्री पारित हुई या आदेश दिया गया उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती।

(II) किसी ऐसी भ्रांति पूर्ण गलती **Mistake** या भूल जो रिकार्ड के देखते ही प्रत्यक्ष दिखाई देती हो,

(III) किसी अन्य पर्याप्त कारण से, यह निवेदन करता है कि डिक्री या आदेश जो उसके विरूद्व दिया गया है उसका पुर्नविलोकन किया जाय तो वह उस न्यायालय में जिसने ऐसी डिक्री या आदेश दिया है – आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा जो वह न्योचित समझे।

किन्तु आवेदक के अभिभाषक ऐसा कोई अभिलेख अथवा नया तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि उपरोक्त तीनों में एक भी सिद्वांत उनके व्दारा प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन में पुष्टिकृत हुआ है जबकि तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 77/1993 में विस्तृत समीक्षा कर आदेश दिनांक 22.8.1998 पारित किया है जिसके कारण पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर